अं०नि० मोहनलाल
अं०नि० प्रभूसिंह

कृपालसिंह उप० कृषक पटेलिया
ने गवाह ने शपथपत्र पेश
करना व उसके लिखी कागजात
नहीं होना तथा उपस्थित को
रेकार्ड होना स्वीकार
किया। वादी और प्रतिवादी
पेश होना नहीं चाहते हैं अतः
वादी साक्ष्य बंद किया जाकर
पत्रावली वास्ते बहस हेतु दि०
23/12/15 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (प्र.)

23-12-15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार
उप०। पत्रावली वास्ते बहस दि०
12-1-16 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (प्र.)

12-1-16 पत्रावली पेश हुई। वकील
पक्षकार उप०। बहस आंशिक सुनी
गई। पत्रावली वास्ते आदेश,
दि० 18-1-2016 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (प्र.)

18-1-16 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार
उप०। हमने पत्रावली का अवलोकन
किया। बहस मनन किया गया
वाद वादी साबित नहीं होने के
कारण खारिज किया जाता है।
विस्तृत निर्णय अलग से लिखा
जाकर शामिल मिसल हो।

सहायक कलक्टर (प्र.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (मु.) नागौर	[illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 22/2012

श्रीमति सदाकवंर पत्नी नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी जाजोलाई तहसील व जिला नागौर वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर प्रतिवादी

उपस्थितिः–

1. श्री भगवानसिंह राठौड एडवोकेट वादीनी
1. राजपैरोकार प्रतिवादी

वाद घोषणा हक खातेदारी एंव स्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 18-1-2016

वादीनी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद घोषणा हक खातेदारी एंव स्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

खेत खसरा नम्बर 27 रकबा 11.06 बीघा सरहद मौजा जाजोलाई किस्म बाराणी अ सम्वत् 2030 से वादीनी के कदीमी कब्जे काश्त में रहता चला आया है। जिस पर निरन्तर वादीनी बिना किसी रोक–टोक के बेहैसियत मालिक के काबिज रहकर काश्त करसण करती आ रही है और उक्त भूमि ही वादीनी व उसके परिवार की आजिविका का एकमात्र साधन है। उक्त खेत के संबंध में सम्वत 2035 से राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी की काश्त दर्ज रहती चली आई है। वादीनी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि जिला कलक्टर नागौर व प्रतिवादी तहसीलदार नागौर को दावा से पूर्व दे दिया। जिसकी मियाद साठ दिन की अवधि गुजर जाने के बाद भी वादीनी के उक्त खेत की खातेदारी वादीनी के नाम दर्ज नहीं किये जाने से वादीनी को खातेदारी घोषित कराने के लिए यह वाद हाजा पेश करना लाजमी हुआ हैं।

इस्तदुआ वाद बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावें–

1. मुतदाविया भूमि खेत खसरा नम्बर 27 रकबा 11.06 बीघा वाके सरहद मौजा जाजोलाई तहसील नागौर की वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी के नाम से इन्द्राज कराया जावें।
2. वादीनी के कब्जा काश्त के उक्त खेत में प्रतिवादी को दखल व हस्तक्षेप करने व कराने से सदा के लिए जरिये स्थायी व्यादेश से रोका जाने की आज्ञा फरमावें।
3. खर्चा वाद वादीनी को प्रतिवादी से दिलाया जावें।

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

4. अन्य अनुतोष जो लाभार्थ वादीनी हो प्रदान करावें।

प्रतिवादी ने जवाब पेश कर कथन किया कि ग्राम जाजोलाई के खसरा नम्बर 27 रकबा 11.06 बीघा वादीनी अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। वाद मय हर्जा खर्चा के निरस्त फरमावें।

तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई–

1. आया ग्राम जाजोलाई के खसरा नम्बर 27 की 11.06 बीघा भूमि पर वादीनी सम्वत् 2030 से कब्जा काश्त होने के आधार पर वादीनी वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार है। (जिम्मे वादीनी)
2. अनुतोष

साक्ष्य के रूप में वादीनी ने अपना स्वंय का शपथ पत्र अधीन आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. का पेश कर कथन किया कि दावे के साथ नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2047 से 53 प्रदर्श–1 है। मांग पर्ची जुर्माना की रसीद की फोटोप्रति पेश की। दावा करने से पहले धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस की प्रति प्रदर्श–2 है। जिस पर राजपैरोकार द्वारा जिरह की गई। गवाह लिछमण सिंह पुत्र हरीसिंह ने शपथ पत्र अधीन आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. का पेश किया जिस पर राजपैरोकार द्वारा जिरह की गई। गवाह मोहननाथ पुत्र उम्मेदनाथ व प्रेमसिंह पुत्र हरीसिंह ने शपथ पत्र अधीन आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश किया।

अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि खसरा नम्बर 27 की 11.06 बीघा मौजा जाजोलाई पर कब्जा काश्त वादीनी का है। सम्वत् 2030 से कब्जा व सम्वत् 2035 से मांग पर्ची, सम्वत् 2045 से सरकार ने अतिक्रमी बताये है। भूमिहीन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं की है। भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं है। वादी व पडौसियों के बयान करवाये है। इस खेत के पडौस में अन्य लोगों की खातेदारी भूमि है। वकील प्रतिवादी ने बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि राजकीय भूमि है तथा वादीनी का कब्जा सम्वत् 2012 से पूर्व नहीं है। अतः वाद वादीनी खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादीया द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 27 की 11.06 बीघा भूमि पर सम्वत् 2030 से काबिज होने के आधार पर खातेदारी घोषित किये जाने का निवेदन किया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सम्वत् 2012 से पूर्व से यदि कोई काश्तकार कृषि भूमि पर काबिज हो तथा लगान अदा करने का साक्ष्य पेश करता है तो उसे खातेदारी दी जा सकती है परन्तु वादीया की ओर से सम्वत् 2012 से पूर्व का कब्जा काश्त व लगान से सम्बधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्वा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18-1-2016 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ए. एव. गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत.सहायक.कलक्टर (मु.) मुकाम नागौर बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.

श्रीमति सदाकवंर पत्नी नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी जाजोलाई तहसील व जिला नागौर वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर प्रतिवादी

वाद घोषणा हक खातेदारी एंव स्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं 22 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ———— बहाजरी ———— मिनजानिब मुदई ब ————
मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

बीज ——— मुबलिग. ——— बाबत् ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह —— फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. —— .को अदा करें।

बसब्बा मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18-1-2016 को जारी की गई ।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प वकालात नाम	—	—
स्टाम्प वकालात नाम	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील पर	—	—
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	—	—
मुतफर्रिक	—	—			
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर